



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-26072025-265005
CG-CG-E-26072025-265005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3377]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947

No. 3377]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 25 जुलाई, 2025

का.आ. 3454(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989, (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के तालिका के स्तंभ (4) एवं (5) में उल्लेखित तहसील एवं जिला से संबंधित इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करता हूँ।

सारणी-1

क्रम.सं.	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा	“बिलासपुर डिवीजन— एमडब्ल्यू आरएन-एसआरबीए के बीच नियंत्रण रेखा संख्या सीजी-12 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण। (बॉक्स पुशिंग विधि द्वारा)”	कोरबा	कोरबा

[फा. सं. डीवाई.सीई/जीएसयू/बी एस पी/आर ओ बी/एल सी संख्या CG-12/भूमि अधिग्रहण/1]
संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C. Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 25th July, 2025

S.O. 3454(E).— In exercise of powers conferred by clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below & relating to Taluka and District in column (4) & (5) of the table below in the State of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE-1

Sl. No.	Competent Authority	Special Railway Project	Taluka	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sub Divisional Officer, Korba	“Bilaspur Division - Construction of RUB in lieu of LC No. CG-12 between MWRN-SRBA. (By Box pushing method).”	Korba	Korba

[F. No. DY. CE/GSU/BSP/ROB/LC No. CG-12/land acquisition/1]

SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP